"बिजनेस पोस्ट के अ.गर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बेना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनु त. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट /38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2011—भाद्र 4, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4 01/2010/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर लाल झंवर, तत्कालीन न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर वर्तमान में सेवानिवृत्त को दिनांक 13-06-2011 से 16-06-2011 तक (04 दिन) के पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 11 एवं 12 जून, 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 1-35/2010/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 4 (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री रोशन अग्रवाल, जिला-रायगढ़ एवं श्री गिरिश शुक्ला, मुंगेली, जिला-बिलासपुर को एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में सदस्य नियुक्त करता है.

2. उपर्युक्त नियुक्ति राज्य शासन के आगामी आदेश पर्यन्त अथवा श्री रोशन अग्रवाल, जिला-रायगढ़ एवं श्री गिरिश शुक्ला, मुंगेली, जिला-बिलासपुर द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष, जो भी अवधि पहले हो, के लिये होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 1 अगस्त 2011

क्र./क/भू-अर्जन/03/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	हाटकचोरा प.ह.नं. 11	0.028	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर, संभाग क्रमांक-01, जगदलपुर.	सड़क सौंदर्यीकरण (बाईपास मार्ग निर्माण) हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-01, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./8/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	गुल्लीडांड़ प. ह. नं. 09	10.19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	पेण्ड्रा-मरवाही-मनेन्द्रगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 8)

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	करगीकला प. ह. नं. 10	9.40	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	पेण्ड्रा-मरवाही-मनेन्द्रगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 8)

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	पीपरडोल प. ह. नं. 10	5.02	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	पेण्ड्रा-मरवाही-मनेन्द्रगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 8)

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./14/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	लिटियासराई प. ह. नं. 10	9.57	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	पेण्ड्रा-मरवाही-मनेन्द्रगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 8)

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 36/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रमचण्डी प. ह. नं. 72/15	454/1	0.030	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर विकास अन्तर्गत एयर पोर्ट विस्तार हेतु.
			454/2	0.030		
			689/1	0.220		
			689/2	0.320		
			295/21	0.089		
			295/22	0.202		
			295/27	0.390		
			322	0.278		
			323/2	0.012		
			324	0.049		
			328	0.138		
			329	0.032		
			330	0.020		
			331	0.040		
			332	0.049		
			333	0.020		
			334	0.049		
			335	0.040		
			336	0.020		
			337/1	0.041		
			338	0.024		
			339/1	0.032		
			361/2	0.049		
			364	0.020		
			366	0.073		
			372	0.016		
			373	0.045		
			375	0.024		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			376	0.056		
			377	0.049		
			378	0.085		
			379/3	0.382		
			379/6	0.397		
			326/3	0.452		
			321	0.405		
			355/3	0.121		
			686/1	0.449		
			295/23	0.409		
			687/1	0.133		
			337/2	0.016		
			339/2	0.016		
			339/3	0.033		
			340	0.049		
			341	0.033		
			342	0.020		
			343	0.040		
			344	0.186		
			345	0.032		
			346	0.041		
			347	0.057		
			348	0.032		
			349/1	0.057		
			360	0.032		
			361/1	0.202		
			686/3	0.454		
			686/4	0.454		
			323/1	0.016		
			360/928	0.020		
			362	0.061		
			363	0.036		
			365	0.049		
			369	0.021		
			370	0.016		
			374	0.014		
			379/1	0.060		
			379/2	0.050		
			379/5	0.320		
			349/2	0.057		
			351/1	0.016		
			352/1	0.024		
			353/1	0.020		
			354/1	0.089		
			355/1	0.136		
			367	0.008		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			368	0.053		
			687/2	0.405		
			688/1	0.251		
			326/1	0.452		
			295/20	0.030		
			295/26	1.008		
			306	0.010		
			307	2.416		
			295/24	1.448		
			350	0.065		
			351/2	0.016		
			352/2	0.008		
			353/2	0.020		
			354/2	0.073		
			357	0.040		
			358	0.020		
			359	0.028		
			379/4	0.050		
			383/1	1.011		
			383/2	1.011		
			325	0.142		
			327	0.547		
			326/2	0.452		
			295/25	1.172		
			690/2	0.004		
			356	0.024		
			371	0.012		
		योग	95	18.825		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक 1168/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 31/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	बेन्द्री प. ह. नं. 18	352/1, 353/36 360/4, 360/5	0.012	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के विकास कार्य रेल्वे लाईन हेतु.
			360/3	0.206		
			367/1	0.162		
			368	0.020		
			378/1	0.050		
			378/2	0.097		
			378/3	0.033		
			382	0.180		
			383/1	0.010		
		योग	9	**0.770**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक 1172/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 33/अ-82/वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	उपरवारा प. ह. नं. 137/16	3244	0.49	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में जंगल सफारी निर्माण हेतु.
			3246	0.47		
			3247	0.45		
			3249	0.31		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			3251	0.49		
			3253	0.41		
			3254	0.45		
			3258	0.51		
			3259	0.26		
			3260	0.31		
		योग	10	4.15		

भूमि का नक्शा (प्लान) क निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक 1173/व./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 30/अ-82/वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद प. ह. नं. 21	783	0.10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य हेतु (विद्युत लाईन स्ट्रक्चर)
			802	0.08		
			832	0.67		
			858/2	0.45		
		योग	4	1.30		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक 1174/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 13/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 71/16	560	0.12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई रायपुर के सेक्टर-29 के विकास कार्य हेतु.
		योग	**1**	**0.12**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक 1175/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 17/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	चीचा प. ह. नं. 72/15	364	4.42	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी में रोड क्रमांक-13 एवं विकास कार्य हेतु.
			360	2.15		
		योग	**2**	**6.57**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक 1176/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 38/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	परसदा प. ह. नं. 21	13	0.25	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के विकास कार्य हेतु.
			14	0.47		
			15	0.22		
			16	0.08		
			17	0.12		
			18	0.19		
			21	1.41		
			22	0.43		
			23	0.29		
			24	1.13		
			25	0.87		
			26	0.14		
			27	0.25		
			28	0.22		
			29	1.05		
			30	0.19		
			31	0.19		
			33	0.04		
			34	0.03		
			35	0.03		
			36	0.20		
			37	0.33		
			38	0.79		
			39	0.11		
			40	0.17		
			41	0.23		
			42	0.09		
			43	0.23		
			45/1	0.20		
			45/2	0.21		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			45/3	0.03		
			102	0.60		
			104	0.29		
			121	0.40		
			122	0.81		
			126	0.42		
			129	0.13		
			133	2.01		
			136	0.49		
			140	0.08		
			141	0.06		
			142	0.10		
			265	0.09		
			266	0.26		
			267	0.32		
			287	0.31		
			288	0.30		
			289	0.27		
			292	0.39		
			295/1	0.38		
			295/2	0.37		
			298	0.48		
			299	0.89		
			301	0.16		
			305	0.09		
			306	0.09		
			307	0.09		
			311	0.07		
			312	0.05		
			313	0.14		
			315	0.47		
			316	0.04		
			318	0.29		
			319	0.40		
			322	0.08		
			324	0.20		
			325	0.12		
			326	0.13		
			328	0.12		
			329	0.31		
			330	0.23		
			331	0.01		
			332	0.03		
			337	0.07		
			339	0.21		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			340	0.06		
			349/1	0.36		
			349/2	0.10		
			393	0.21		
			400	1.00		
			401	1.01		
			403	3.57		
			404	0.63		
		योग	**83**	**29.98**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक 1177/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 24/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	भेलवाडीह प. ह. नं. 22	1	2.15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	प्लानिंग के तहत प्रभावित भूमि का विकास हेतु.
			2	1.97		
			3	0.82		
			4	0.75		
			5	0.38		
			6	0.68		
			7	0.91		
			8	0.64		
			9	0.53		
			10	1.22		
			16/1	0.61		
			18/1	0.23		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			19/1	1.54		
			20	0.61		
			23	1.07		
			17	0.18		
			24	1.34		
			25	1.42		
			27	0.67		
			26	0.16		
			28	0.20		
			21	0.10		
			29/1	1.31		
		योग	**23**	**19.49**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक 1178/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 40/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गनौद प. ह. नं. 143/19	341 345	0.58 0.42	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तांदुल-गनौद मार्ग पर कोल्हान नाला पर पुल निर्माण हेतु.
		योग	**2**	**1.00**		

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1180/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 32/अ-82/वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	परसदा प. ह. नं. 21	355	0.950	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य हेतु (विद्युत लाईन स्ट्रक्चर)
			712	3.950		
			759	0.600		
			774	1.200		
		योग	4	6.700		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1181/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 27/अ-82/वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प. ह. नं. 72/15	36	0.60	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में एयरपोर्ट निर्माण हेतु.
			37	0.36		
			38	0.77		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			47	7.46		
			95	2.03		
			96	0.49		
			97	0.21		
			98	0.03		
			101	0.72		
			102	0.92		
			133	0.15		
			137/1	0.24		
			137/2	0.40		
			139	0.12		
			140	0.10		
			141	0.20		
			142	0.16		
			143	0.22		
			144	0.22		
			146	0.45		
			147	0.36		
			148/1	0.46		
			149	0.09		
			150	0.71		
			151	0.29		
			152	0.65		
			154	0.15		
			155	0.15		
			156	0.15		
			157	0.15		
			165/1	0.16		
			165/2	0.34		
			167	0.22		
			168	0.18		
			169	0.48		
			170	0.37		
			172/2	0.17		
			172/4	0.17		
			175	0.04		
			176	0.40		
			177	0.25		
			178	1.23		
			179	0.47		
			251/1	0.08		
			255/1	0.57		
			272	0.26		
			273	0.13		
			276	0.14		
			277	0.14		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			278	0.16		
			279	0.27		
			284/1	0.01		
			285/1	0.01		
			286	0.07		
			291	0.14		
			292	0.22		
			293	0.27		
			301	0.12		
			302	0.17		
			316	0.21		
			318	0.25		
			319	0.10		
			345	0.59		
			350	0.29		
			352	0.74		
			354	0.08		
			355	0.12		
			356	0.04		
			357	1.23		
			363	0.14		
			364	0.07		
			365	0.10		
			366	4.44		
			370	0.14		
			371	0.46		
			372	0.21		
			373	0.12		
			374	0.12		
			375	1.90		
			376	0.03		
			388	0.97		
			390	0.18		
			393	0.24		
			395	0.06		
			396	0.13		
			397	0.05		
			398	0.55		
			399	0.13		
			400	0.38		
			402	0.59		
			403	0.63		
			405	0.24		
			406	0.26		
			408	0.10		
			409	0.94		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			410	0.13		
			411	0.43		
			412	0.07		
			416	0.36		
			417	0.08		
			418	0.35		
			419	0.39		
			429	0.14		
			430	0.22		
			431	0.16		
			432	0.10		
			434	0.27		
			436	0.22		
			437	0.70		
			438	0.04		
			439	0.02		
			440	0.14		
			441	0.49		
			442	0.40		
			444	0.73		
			683	0.10		
			684	0.05		
			685	0.08		
			686	0.08		
			770	0.44		
			774	0.14		
			780	0.52		
			1186	0.18		
			1208	0.80		
			1210	0.14		
			1211	0.16		
			1212	0.16		
			1213	0.16		
			1215	0.15		
			1216	0.18		
			1217	0.14		
			1219	0.38		
			1220	0.09		
			1222	0.42		
			1223	0.45		
			1225	0.37		
			1227	0.17		
			1228	0.24		
			1229	0.15		
			1232	0.10		
			1239	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1243	0.11		
			1244	0.11		
			1245	0.13		
			1247	0.22		
			1248	0.14		
			1250	1.36		
			1251	0.35		
			1257	0.38		
			1259	4.37		
			1260	3.05		
			1262	0.14		
			1265	0.28		
			1266	0.98		
			1267	0.16		
			1268	0.34		
			1271	0.13		
			1273	0.23		
			1274	0.55		
			1275	0.79		
			1276	0.94		
			1277	1.79		
			1278	1.01		
			1279	2.33		
			1280	1.35		
			1281	0.36		
			1282	4.02		
			1283/1	2.00		
			1283/2	2.00		
			1283/3	4.34		
			1287	5.58		
			1313	1.74		
			1314	0.06		
		योग	**173**	**95.72**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1182/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 19/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	छतौना प. ह. नं. 74/13	433 435	0.07 0.06	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर परियोजना अंतर्गत रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.
		योग	**2**	**0.13**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1183/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 34/अ-82/वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	तेन्दुवा प. ह. नं. 141/28	401 403 484 489 496	0.15 0.51 0.86 0.30 0.06	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य (मोटर ड्रायविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एवं योजना क्षेत्र) हेतु.
		योग	**5**	**1.88**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1184/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 21/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प. ह. नं. 72/15	1810	0.68	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के अंतर्गत रोड क्रमांक-9 B निर्माण कार्य हेतु.
			1979/1	1.90		
			1979/2	2.00		
		योग	**3**	**4.58**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1185/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 20/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	छतौना प. ह. नं. 74/13	105	1.12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर अन्तर्गत योजना क्षेत्र में प्रभावित भूमि का नई राजधानी निर्माण हेतु.
			117	0.05		
			137/1	0.41		
			138	0.47		
			142	0.13		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			147	0.18		
			148	0.30		
			151	0.81		
			154	0.12		
			155	0.14		
			156	0.03		
			157	0.26		
			158	0.26		
			159	0.10		
			167	0.18		
			168	0.47		
			169	0.92		
			171	0.21		
			172	0.25		
			173	1.49		
			174	0.01		
			175	0.23		
			176	0.21		
			178/1	0.14		
			178/2	0.81		
			180	0.19		
			189	0.35		
			191	0.13		
			192	0.10		
			195	0.14		
			196	0.06		
			197	0.42		
			198	0.30		
			199	0.29		
			200	0.55		
			201	0.32		
			202	0.32		
			203	1.37		
			204	0.19		
			205	0.40		
			217	0.10		
			218	0.16		
			266	0.37		
			276	0.40		
			284	0.35		
			290/1	0.24		
			338/1	0.13		
			388	1.42		
			433	0.62		
			435	1.80		
			451	0.26		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			594	0.41		
		योग	52	20.69		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1186/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 28/अ-82/वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	तूता प. ह. नं. 137/16	203/2	0.108	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.
			345/1	0.874		
			701/1	3.399		
			693/831	0.121		
		योग	4	4.502		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1187/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 16/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कोटराभाटा प. ह. नं. 20	4	0.06	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के विकास कार्य हेतु.
			37/2	0.10		
			37/3	0.16		
			38	0.78		
			39	0.17		
			40	0.72		
			50	0.88		
			53	0.39		
			55	0.78		
			56	1.30		
			57	0.33		
			60	0.28		
			62	0.37		
			64	0.20		
			65	0.27		
			66	0.20		
			67	0.55		
			68	0.12		
			69	0.50		
			70	0.29		
			72	0.29		
			73	0.23		
			74	1.24		
			88/2	0.54		
			99	0.61		
			115	0.44		
			124	0.15		
			128/2	0.47		
			132/2	0.65		
			142	0.08		
			144	0.43		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			147	0.92		
			149	0.80		
			150/1	0.37		
			150/2	0.22		
			150/3	0.05		
			153	0.18		
			154	0.18		
			155	0.18		
			156	0.15		
			157/1	0.36		
			157/2	0.39		
			158	0.44		
			161	0.19		
			229	0.26		
			235	0.14		
			237	0.11		
			238	0.11		
			239	0.11		
			241	0.11		
			242	0.11		
			243	0.11		
			244	0.12		
			247	0.13		
			249	0.48		
			250	0.10		
			252/3	0.09		
			253	0.26		
			257	0.15		
			270/2	0.26		
			277	0.78		
			302	3.13		
			336	0.45		
			337	0.30		
			342	0.14		
			378	0.51		
			382	0.07		
			388	0.38		
			389	0.38		
			394	0.11		
			397	0.28		
			409	0.56		
			417	0.48		
			440	1.09		
			445	0.58		
			462	1.15		
			465	0.11		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			466	0.03		
			468/3	0.20		
		योग	79	31.39		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1188/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 18/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	परसदा प. ह. नं. 21	356	0.65	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के विकास कार्य हेतु.
			357	0.13		
			358	0.13		
			359	0.34		
			360	0.38		
			361	0.10		
			363	0.33		
			364	0.50		
			365/1	0.20		
			365/2	0.10		
			370	0.37		
			407	1.88		
			410	0.25		
			419	0.20		
			440	0.33		
			450	0.15		
			460/2	0.40		
			462	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			465	0.16		
			471	0.43		
			508	1.72		
			514	0.44		
			511/1853	0.26		
		योग	**23**	**09.62**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1189/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 35/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	केन्द्री प. ह. नं. 21	746	0.500	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के अन्तर्गत आयुष स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु.
		योग	**1**	**0.500**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्रमांक 1190/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 23/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	भेलवाडीह प. ह. नं. 139/18	414	0.18	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के सी.एस.ई.बी. सब स्टेशन एवं विकास कार्य हेतु.
			424	1.39		
			437	0.36		
			446	0.21		
			447	0.17		
			459	1.02		
			484	0.28		
		योग	**7**	**3.61**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/11871.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	तागा प.ह.नं. 18	84.48	उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बिलासपुर.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड 765/400 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्रमांक-क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/11874.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	चोरभट्ठी प.ह.नं. 07	3.729	उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बिलासपुर.	पावरग्रिड 765/400 के. व्ही. सब स्टेशन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र. 2/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कल्याणपुर, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.28 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3109/1	0.33
3135	0.14
3136	0.09
3141/1	0.09
3142	0.21
3144	0.11
3145	0.2
3147	0.03
3146	0.08
योग	1.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अखोराकला-कल्याणपुर मार्ग पर फुलझर सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुटेला, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	160/1	0.113
योग	1	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुटेला लेन्ध्रा कोसीर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 28 जुलाई 2011

भू-अर्जन रा.प्र.क्र. 7/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-बेहरचुंवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.31 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	29	1.38
	32, 34	0.23
	25, 26/2, 26/3, 27/2, 28	2.37
	39/1	0.33
योग	9	4.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोकरदा जलाशय योजना के तहत डूब क्षेत्र एवं नहर क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्रमांक/3862/सूचना/न.ग्रा.नि./2011.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा (3) के अनुसरण में सक्ती निवेश क्षेत्र शामिल किये गये ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र का प्रकाशन सूचना क्रमांक-1348/वि.यो.-99/न.ग्रा.नि./2011 दिनांक 27-05-2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिख़ित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सक्ती निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप में तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

सक्ती निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पतेरापाली एवं रगजा, तेन्दूतोहा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम रगजा, पतेरापाली, कंचनपुर, नंदेली भाठा, बोईरडीह एवं सोठी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम सोंठी, नवापारा एवं पोरथा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम पोरथा, सिपाहीमुड़ा, हरेठी, बोरदा, पतेरापाली एवं तेन्दूतोहा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

No. 3862/T & CP/2011.—The existing Land use map and register for the Sakti planning Area was published under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 1348/M.P-99/T & CP date 27-05-2011.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing Land use map of Sakti so prepared and published are duly adopted by the director, town and country planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Sakti Planning Area Limits

NORTH : Village Paterapali and upto the Ragja of village Tendutoha.

EAST : Village Ragja and paterapali, Kanchanpur, Nandelibhata, Boirdih of Sonthi.

SOUTH : Village Sonthi, Nawapara and up to the southern limits of village Portha.

WEST : Village Portha, Sipalimuda, Harethi, Borda, Paterapali and upto the western limits of village Tendutoha.

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्रमांक/3865/विशेष क्षेत्र/न.ग्रा.नि./2011.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा (3) के अनुसरण में सीपत विशेष क्षेत्र शामिल किये गये ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र का प्रकाशन सूचना क्रमांक-2764/न.ग्रा.नि./2011 दिनांक 28-05-2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीपत विशेष क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप में तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

सीपत विशेष क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सेलर, झलमला, नरगोड़ा, ठरकपुर, परसाही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम ठरकपुर, हीडाडीह, दवनडीह, परसाही, दर्राभाठा, कोडिया, रांक एवं रलिया ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम खजूरी, पंधी, देवरी, गतौरा एवं रलिया ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम गतौरा, पंधी, खजूरी, मोहरा एवं सेलर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

No. 3865/T & CP/2011.—The existing Land use map and register for the Seepat Special Area was published under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 2764/T & CP date 28-05-2011.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing Land use map of Seepat so prepared and published are duly adopted by the director, town and country planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Seepat Special Area Limits

NORTH : Village Selar, Jhalmala, Nargoda, Thharakpur & upto the Northern Limits of village Parsahi.

EAST : Village Thharakpur, Hindadih, Dawandih, Parsahi, Darrabhathha, Koudiya, Rank & upto the Eastern limits of village Raliya.

SOUTH : Village Khajuri, Pandhi, Deori, Gataura & upto the Southern limits of village Raliya.

WEST : Village Gataura, Pandhi, Khajuri, Mohara & upto the western limits of village Selar.

जे. सी. निदारिया,
संयुक्त संचालक.

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी
(रायपुर विकास प्राधिकरण)

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2011

क्रमांक 376 /रा.शा./वि.प्रा./11.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 49 एवं 50 के अंतर्गत रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर द्वारा रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम रायपुरा के भवनों, मार्गों, नालियों, मल-वहन लाइनों तथा अन्य वैसी ही सुख-सुविधाओं के प्रयोजन के लिये प्लाटों के पुनर्गठन हेतु शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर इन्द्रप्रस्थ फेस-2 "रायपुरा" तैयार की गई है. अधिनियम 1973 की धारा 50 (7) के अंतर्गत अंतिम नगर विकास योजना का छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 08-04-11 को प्रकाशन किया जा चुका है. अत: राजपत्र में प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक 08-04-11 से इन्द्रप्रस्थ फेस-2 "रायपुरा" लागू हो चुकी है.

अत: छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 की उपधारा 8 (एक) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इन्द्रप्रस्थ फेस-2 "रायपुरा" के योजना क्षेत्र के अंतर्गत नई गलियों अथवा सड़कों का अभिन्यास, निर्माण, व्यपवर्तन, विस्तार, परिवर्तन सुधार तथा गलियों तथा सड़कों का समापन एवं संसूचनाओं के विच्छेदन इत्यादि प्रयोजनों हेतु समस्त भूमियां, सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त रायपुर विकास प्राधिकरण जो कि रायपुर में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी है, में पूर्णत: निहित हो चुकी है. यद्यपि अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 8 (एक) में दी गई कोई भी बात, उस उपधारा के अधीन नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होने वाली भूमि के स्वामित्व के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी.

उपरोक्तानुसार नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होने वाली भूमि के खसरा नंबरों का विवरण निम्नानुसार है —

KHASRA LIST OF INDRAPRASTH PHASE-II (RAIPURA)

RAIPURA : Part of Khasra Number-30, 31, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 114, 115, 116, 117, 118, 280, 281, 282, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 313, 314, 315, 316, 327.

सुनील सोनी,
अध्यक्ष.

न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

डभरा, दिनांक 23 जुलाई 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिए].

क्रमांक 490 —राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम बॉधापाली प.ह.नं. 4, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नै हाल उच्चपिण्डा द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	साराडीह, प.ह.नं. 22	547/1	0.03/0.012
			547/2	0.03/0.012
			547/3	0.03/0.012
			558/3	5.73/2.316
			559/1	0.55/0.223
			558/2	0.30/0.121
			184/1	0.03/0.012
			184/2	0.17/0.069
			185	0.12/0.048
			186	0.08/0.032
			76/1	0.07/0.028
			76/2, 76/3	0.07/0.028
			76/4	0.08/0.032
			77	0.20/0.081
			79/1	0.13/0.052
			79/2	0.07/0.028
			79/3	0.07/0.028
			89	0.10/0.040
		योग	**19**	**7.86/3.174**

डभरा, दिनांक 23 जुलाई 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक 492.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम बॉधापाली प.ह.नं. 4, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल उच्चपिण्डा द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कबारीपाली, प.ह.नं. 17	311	0.09/0.036
			309/1, 309/2	0.11/0.044
			310/1 ग	0.04/0.016
			310/2	0.08/0.032
			307	0.10/0.040
			308/1	0.05/0.020
			308/3	0.06/0.024
			308/4	0.12/0.048
			308/5	0.10/0.040
			308/2	0.10/0.040
		योग	10	**0.85/0.339**

डभरा, दिनांक 23 जुलाई 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक 494.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम बॉधापाली प.ह.नं. 4, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल उच्चपिण्डा द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय

अधिकारी डभरा जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	किरारी, प.ह.नं. 21	682/1	0.22/0.089
			682/2	0.14/0.056
		योग	**2**	**0.36/0.145**

डभरा; दिनांक 23 जुलाई 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक 496.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम बॉधापाली प.ह.नं. 4, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल उच्चपिण्डा द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	बॉधापाली, प.ह.नं. 4	39/1	0.11/0.044
			39/2	0.10/0.040
			40	0.18/0.072
		योग	**3**	**0.39/0.156**

डभरा, दिनांक 23 जुलाई 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक 498.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम बॉधापाली प.ह.नं. 4, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल उच्चपिण्डा द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	केकराभाट, प.ह.नं. 4	914/1	0.20/0.080
			914/2, 913/1	0.15/0.061
			915	0.10/0.040
			910	0.20/0.080
			907	0.05/0.020
			906/3	0.03/0.012
			905/1	0.07/0.028
			905/2	0.07/0.028
			905/3	0.08/0.032
			896/1 च	0.05/0.020
			581/1	0.05/0.020
			338	0.12/0.048
			339/1	0.15/0.061
			155/4	0.05/0.020
			159/1	0.05/0.020
			160/2	0.04/0.016
		योग	16	**1.46/0.591**

डभरा, दिनांक 23 जुलाई 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक 500.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम बॉधापाली प.ह.नं. 4, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल उच्चपिण्डा द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	रेड़ा, प.ह.नं. 20	22	0.10/0.040
			21	0.29/0.117
			23/1	0.05/0.020
			23/2	0.05/0.020
			20	0.58/0.235
			8, 12	0.20/0.080
		योग	**6**	**1.27/0.512**

डभरा, दिनांक 23 जुलाई 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक 502.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम बॉधापाली प.ह.नं. 4, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) तक मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल उच्चपिण्डा द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा जिला-जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	जवाली, प.ह.नं. 22	397/1	0.10/0.040
			398	0.10/0.040
			394, 395	0.15/0.061
			378/3	0.19/0.077
			379	0.14/0.057
			380	0.05/0.020
			198/2	0.10/0.040
			381	0.29/0.116
			382	0.03/0.12
			205	0.21/0.085
			206/1	0.07/0.028
			206/2	0.07/0.028
			207/1 से 207/6	0.12/0.048
			208	0.15/0.061
			199	0.08/0.032
			198/1	0.09/0.036
			210/1, 210/2	0.08/0.032
			236	0.15/0.061
			210/3	0.06/0.024
			237	0.07/0.028
			197/4	0.18/0.072
			197/5	0.06/0.024
			197/1	0.07/0.028
			223/2	0.11/0.045
			223/3	0.03/0.012
			243/2	0.05/0.020
			242/1	0.04/0.016
			244	0.03/0.012
			243/1	0.04/0.016
			247	0.03/0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			248/3	0.03/0.012
			250/4 क	0.13/0.052
			251/2	0.20/0.081
			251/4	0.05/0.020
			232/1	0.04/0.016
			231	0.07/0.028
			232/2	0.03/0.012
			234	0.07/0.028
			577	0.11/0.045
			579	0.07/0.028
			580	0.07/0.028
			584	0.10/0.040
			586	0.04/0.016
			587/1	0.05/0.020
			585/1	0.05/0.020
			588	0.11/0.045
			590	0.18/0.072
			592	0.15/0.060
			593	0.04/0.016
			1243/1	0.07/0.028
			1244/1	0.05/0.020
			1244/2	0.05/0.020
			1245/1	0.10/0.040
			1245/2	0.10/0.040
		योग	**54**	**4.90/1.969**

एस. सी. श्रीवास्तव,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th August 2011

No. 60/II-14-1/2011 (Pt.-III).—The following Section Officers & Private Secretaries of this Registry are promoted to the post of Assistant Registrar in the PB-3 of Rs. 15600-39100+Grade Pay 5400/- on the establishment of this High Court, in officiating capacity for a period of two years from the date they assume charge of their duties :—

Sl. No. (1)	Name & Designation (2)
1.	Shri C. S. Chouhan, Section Officer

(1)	(2)
2.	Shri Avanish Jyotishi, Private Secretary
3.	Shri N. K. Kanungo, Section Officer
4.	Shri Gopal Singh, Private Secretary
5.	Shri Ashesh Shrivastava, Section Officer
6.	Shri A. Annaji Rao, Private Secretary

Bilaspur, the 10th August 2011

No. 459/Confi l./2011/II-2-1/2011.—Shri Alok Kumar, Additional District & Sessions Judge, Raipur is transferred and posted as VII Additional District & Sessions Judge, Raipur from the date he assumes charge of his office.

By order of the Hon'ble High Court.
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.